

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 394]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2011—श्रावण 26, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (59).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-15-2011-1-पांच-(19), दिनांक 1 अप्रैल, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द "चार" के स्थान पर, शब्द "पांच" स्थापित किया जाए.

2. यह संशोधन 16 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (59).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-22-2011-1-पांच, (59), दिनांक 17 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th August 2011

F-A-3-22-2011-1-V-(59).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. FA-3-15-2011-1-V (19), dated 1st April, 2011, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, for the word "four", the word "five" shall be substituted.

2. This amendment shall be deemed to have come into force for 16th April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (60).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, गेहूँ के क्रय पर उक्त धारा के अधीन कर के भुगतान से, उस सीमा तक छूट प्रदान करती है कि देयकर घटकर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित बोनस की रकम पर देय कर की रकम के बराबर हो जाए.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (60).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-22-2011-1-पांच (60), दिनांक 17 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th August 2011

F-A- 3-22-2011-1-V-(60).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts the purchases of wheat from payment of tax under the said section, to the extent that the tax payable is reduced by the amount equal to the tax payable on the amount of the bonus declared by the Central Government or the State Government.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.